



अंत्योदय-सरल



नवीनऔर नवीकरणीय ऊर्जा

सौरजल पम्पिंग प्रणाली की योजना (एसडब्ल्यूपीएस) (योजना)

पात्रता:

1. परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ हरियाणा का कोई भी निवासी परिवार आवेदन करने के लिए।
2. हरियाणा के किसान जिनके नाम पर बिजली आधारित कृषि पम्प कनेक्शन नहीं है।
3. जल उपयोग कर्ता संघ, गौशालाएं और समुदाय/क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली।
4. ऐसे लाभार्थी जिन्होंने पूर्व में सोलर पंप योजना के अंतर्गत पम्प स्थापित नहीं किया है।

प्रदान किए गए लाभ:

किसानों को सिंचाई की जरूरतों का पूरा करने के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी के साथ सोलर पंप उपलब्ध कराये जायेंगे।

आवश्यक दस्तावेज:

1. परिवार पहचान पत्र
2. कृषि भूमि की जमाबंदी
3. सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भूमिगत पाइप लाइन (यूजीपीएल) प्रणाली स्थापित की सुचना या पंप की स्थापना से पहले स्थापित करने का शपथ पत्र।

सेवा के लिए शुल्करु

सरकारी शुल्क	वृद्ध सेवा शुल्क	अटल सेवा केंद्र (सीएससी) सेवा शुल्क
शुल्क नहीं	रु. 10/-	रु. 10/-

आरटीएस समय सीमा :-आरटीएस के तहत नहीं